

अल्पकालिक निविदा सूचना

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महाराजगंज।

प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज के लिए किराये पर एक अदद बन्द बाडी (इनोवा) जीप की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म दिनांक 27-02-2019 तक किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय, महाराजगंज से निविदा प्रपत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय, महाराजगंज से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निविदा दिनांक 28-02-2019 को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य अभिकरण कार्यालय में रखे गये टेण्डर बाक्स में डाली जायेगी। निर्धारित समय मध्याह्न 12.00 बजे के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा दिनांक 28-02-2019 को ही अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी जिसमें निविदादाता उपस्थित रह सकते हैं। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा की शर्तें :-

- 1- वाहन एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 2- निविदा के साथ बन्द बाडी (इनोवा) के वाहन स्वामी को वाहन का बैध अभिलेख (रजिस्ट्रेशन पेपर, इंश्योरेंस पेपर एवं गाड़ी के टैक्सी में होने का प्रमाण पत्र) संलग्न करना होगा।
- 3- वाहन का टैक्सी में पंजीकृत होना अनिवार्य है जिसे निविदा के साथ अवश्य संलग्न किया जाय।
- 4- वाहन में खराबी उत्पन्न होने पर वाहन स्वामी द्वारा अवकाश के दिन ठीक कराना होगा। विभाग द्वारा मासिक किराया के अलावा अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- 5- वाहन चालक वाहनस्वामी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका वेतन वाहनस्वामी द्वारा देय होगा। वाहन चालक का बैध लाइसेन्स होना अनिवार्य है जो निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- 6- वाहन पूर्ण रूप से मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार संचालित होगी।
- 6- वाहन समय से उपलब्ध न कराये जानें पर मु0 500/- रू0 प्रति दिन की दर से अर्धदण्ड की कटौती किराया भुगतान के बिल से की जायेगी।

20-02-19

(राज करन पाल)
परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
महाराजगंज